1 :– हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष द्वारा विधायकों को अयोग्य ठहराने के आदेश

चर्चा में क्यों :– हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष द्वारा विधायकों को अयोग्य ठहराने के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया ।

अयोग्य घोषित किए जाने का कारण :– विधायकों ने सदन में उपस्थित रहते हुए और सरकार के पक्ष में मतदान करने के लिए अपनी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया। जिस आधार पर विधान सभा अध्यक्ष द्वारा इन विधायकों को दल-बदल विरोधी कानून का दोषी पाया गया जिसके तहत इन्हे अयोग्य घोषित कर दिया गया ।

क्या है यह कानून :– संविधान की दसवीं अनुसूची जिसमे दल-बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया है है को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। । दल-बदल विरोधी कानून को संविधान में 52वें संविधान संशोधन (1985) के द्वारा सामिल किया गया । जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में 'दल-बदल' की प्रचलित प्रथा को समाप्त करना था।

दल-बदल विरोधी कानून के तहत किसी विधायक या सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि:

एक निर्वाचित सदस्य अपनी मर्जी से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है जिससे बह चुनकर आया है। जब कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में (6 महीने की समाप्ति के बाद) शामिल हो जाता है। पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता है। सदस्य जब खुद को वोटिंग से अलग रखता है। किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है । अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी व्हिप के विपरीत मतदान करता है या मतदान के समय अनुपस्थित रहता है। यदि सदस्य ने पूर्व अनुमति ले ली है, या प्रकार की गतिविधि के बाद 15 दिनों के भीतर उसको अपने दल से माफी प्राप्त हो जाती है, तो उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।

इस कानून के अपवादः

एक राजनीतिक दल के कम-से-कम दो-तिहाई निर्वाचित सदस्य अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाते है ।अध्यक्ष बनने वाले सदस्य को इस कानून से छूट प्राप्त है।

अयोग्यता से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने की शक्तिः–

अयोग्यता से संबंधित निर्णय राज्यसभा और विधान परिषद के संदर्भ में सदन के सभापति जब की लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के संदर्भ में अध्यक्ष के द्वारा लिए जाते हैं।

विभिन्न समितियाँ जिन्होंने समय समय पर इससे संबंधित निर्णय दिए :–

दिनेश गोस्वामी समिति :–

गठन :– चुनावी सुधारों को लेकर वर्ष 1990 में

1.समिति ने कहा था कि दल-बदल कानून के तहत प्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराने का निर्णय चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा लिया जाना चाहिये।
2.संबंधित सदन के मनोनीत सदस्यों को उस स्थिति में अयोग्य ठहराया जाना चाहिये यदि वे किसी भी समय किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं।

वर्ष 1999 की विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट:

1.आयोग ने कहा कि चुनाव से पूर्व दो या दो से अधिक पार्टियाँ यदि गठबंधन कर चुनाव लड़ती हैं तो दल-बदल विरोधी प्रावधानों में उस गठबंधन को ही एक पार्टी के तौर पर माना जाए।
2.राजनीतिक दलों को व्हिप (Whip) केवल तभी जारी करनी चाहिये, जब सरकार की स्थिरता पर खतरा हो। जैसे- दल के पक्ष में वोट न देने या किसी भी पक्ष को वोट न देने की स्थिति में अयोग्य घोषित करने का आदेश।

किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू वाद
(Kihoto Hollohan vs Zachillhu)

कब :– वर्ष 1993

1.उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम नहीं होगा। विधानसभा अध्यक्ष का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है।
2. न्यायालय ने कहा कि दसवीं अनुसूची के प्रावधान संसद और राज्य विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं करते हैं। साथ ही ये संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के तहत किसी तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन भी नहीं करते।

2 :– वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023

स्विस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 19 मार्च को IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 को प्रस्तुत किया गया ।

रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया का तीसरा सबसे खराब हवा वाला देश भारत था । जबकि भारत की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा वाली राजधानी थी। इस रिपोर्ट में 134 देशों को सामिल किया गया था ।

दुनिया में सबसे खराब हवा वाला देश बांग्लादेश है। पाकिस्तान इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। हवा के मामले में भारत तीसरे नंबर पर रहा (2022 में भारत आठवें स्थान पर था) । बिहार का बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगर ।

इस रिपोर्ट से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य :–

देश के 66% शहरों में एनुअल PM 2.5 का स्तर 35 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से अधिक । देश में 1.33 अरब (96%)

लोग ऐसी हवा में रहते हैं, जिसमें PM 2.5 का स्तर WHO के एनुअल स्टैंडर्ड से 7 गुना ज्यादा है।

पॉलिटेंट्स:–
एक प्रकार का पार्टिकुलेट मैटर , जिसका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या इससे कम । बेहद छोटे कण होते हैं, जो हवा की गुणवत्ता को खराब करते हैं।

भारत में वायु गुणवत्ता को बढ़ाने के उपाय :–

शून्य उत्सर्जन :– वायु प्रदूषण को मात्र पर्यावरणीय चुनौती न मानकर मानव अधिकार के मुद्दे के रूप में मान्यता देने की जरूरत है तथा इसे शुद्ध शून्य उत्सर्जन (वर्ष 2070 तक) मिशन के साथ भी जोड़ना चाहिये। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) का स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण के अधिकार का प्रस्ताव ।

ग्रीन-ट्रांज़िशन फाइनेंसः भारत में स्वच्छ वायु समाधानों के लिये निजी वित्त जुटाने के लिए वित्तीय संरचना बनाने की आवश्यकता।

जैव एंज़ाइम-पूसा (PUSA): भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा पूसा नामक जैव-एंज़ाइम का विकाश जिसको पराली जलाने के समाधान के रूप में देखा जा रहा है। इसका छिड़काव करते ही एंजाइम 20-25 दिनों में पराली को विघटित कर खाद में परिवर्तित करना शुरू कर देता है, जिससे मृदा और भी उपजाऊ हो जाती है।

निर्माण के लिये तैयार कंक्रीटः शहरों में वायु प्रदूषकों के लिये निर्माण गतिविधियों के लिए विकल्प तलाशना। जैसे नीति आयोग ने तैयार कंक्रीट के उपयोग का सुझाव दिया है जो निर्माण गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने में सक्षम है।

Topic 3 :– झारखंड के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन को तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल की अतिरिक्त जिम्मेदारी

चर्चा में क्यों :– राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा झारखंड के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन को तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी है। यह जिम्मेदारी पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन के इस्तीफे के बाद से यह पद खाली होने के कारण दी गई है।

राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान :–

अनुच्छेद 153 :– प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

संविधान के तहत राज्यपाल की दोहरी भूमिका :–

1.राज्य का संवैधानिक प्रमुख:– राज्य की मंत्रिपरिषद (CoM) की सलाह से काम करेगा।
2. केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य ।

अनुच्छेद 157 और 158 :– राज्यपाल के पद के लिये पात्रता संबंधी आवश्यकता

भारत का नागरिक ।
कम-से-कम 35 वर्ष आयु हो। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिये।
लाभ का पद धारण न करता हो।

संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान और दंडविराम की शक्ति ।

अनुच्छेद 163 :– राज्यपाल को सहायता करने और सलाह देने के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद ।
अनुच्छेद 164 :– राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ।
अनुच्छेद 200 :– राज्यपाल, राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देता है, अनुमति रोकता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिये विधेयक को सुरक्षित रखता है।
अनुच्छेद 213 :– राज्यपाल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकता है।

लेफ्टिनेंट गवर्नर भारत के आठ केंद्र शासित प्रदेशों में से पांच के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है।